...ालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस0

...ार्थना पत्र सं0 ... / 21

प्रवेश तिथि 31.8.21

निर्णय दिनांक 20.4.22

उनवान

... उमरमौहम्मद आयु करीब 38 साल पुत्र श्री करीम खां जाति मेव निवासी ग्राम चांबण्डी कलां तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

:—प्रार्थी / वादी

बनाम

1. जुबेर पुत्र करीम खां
2. जाहुल पुत्र करीम खां जाति मेव निवासीयान ग्राम चांबण्डी कलां तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
3. नियाजुदीन पुत्र साहब खान जाति मेव निवासी ग्राम मदवापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास जिला अलवर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान उपपंजियक किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

दावा इश्तकाराहक 53,188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः— श्री तैयबखान वकील पार्थी की ओर से
प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र

निर्णय

...ार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0 सं0 हाल 196 रकबा 0.4500हे0 स्थित वाके ग्राम लंगडबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में वादी उमरमोहम्मद का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 जुबेर का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 जाहुल का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 नियाजुदीन का 1/2 हिस्सा कब्जा काश्त खातेदारी का है। इसी कदर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 अबट आराजी पर शामलात में काबिज रहकर काश्त कार्य कर रहे है।

प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 जो कि लडाका किस्म के आदमी है। जो कानून कायदो की कतई परवाह नही करते है, आये दिन उक्त अबट आराजी की बाबत वादी के साथ झगडा करते है । तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 वादी के हिस्से की आराजी विवादीत को हडप करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 वादी के हिस्से की अबट आराजी पर जबरन निर्माण करके वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते है। जबकि उक्त आरजी अबट आराजी है। तथा राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम का शामलात में खाता व लगान दर्ज हेा रहा है।

ंख्या 1 लगा0 3 आराजी उक्त का शामलात में खाता व लगान होने से लगान आदि जमा आना कानी करते है झगडा करते है। जिसके कारण वादी आराजी विवादीत का बाई मिट्स एण्ड तकासमा कराकर खाता व लगान अलग दर्ज कराने का अधिकारी है।

त आराजी की बाबत राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा म शामलात में खातेदारी की बाबत नाम दर्ज हो रहा है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 अपने स्से की आराजी पर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहे है, किन्तु आराजी की बाबत में अंकन होने के प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 आराजी की बाबत लगान आदि जमा कराने में बाधा रते है तथा वीद के साथ झगडा फिसाद करने पर आमादा होता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 आराजी में वादी के हिस्से में जबरन निर्माण करके मकानात आदि बनाना चाहते है। तथा अबट से वादी को महरूम करना चाहते है। उक्त अबट आराजी पर आराजी में से अच्छी आराजी को जगह पर रहन,बय आदि से मुन्तकिल करना चाहते है । जिसके कारण वादी राजस्व रिकार्ड में अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् आराजी का तकासमा कराने का विधिक अधिकारी है । तथा दी सं0 1 लगा 3 ने आरजी विवादीत की बाबत तकासमा कराने से मना कर दिया है । जिसके वादी को वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन हे कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये ाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 आराजी खसरा संख्या हाल रकबा 0.4500हे0 स्थित वाके ग्राम लंगडबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में र्थी/वादी के हिस्से कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा रूकावट पैदा ना करे नाही आराजी विवादीत प्रतिवादी संख्या 1 लगा 3 किसी भी प्रकार नीव आदि खोदकर किसी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का र्माण आदि तामिरात कार्य नही करे, मकानात आदि नही बनावे, प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 अबट आराजी वादीत को दीगर व्यक्ति को रहन,बय,लिज,हिबा आदि से मुन्तकिल ना करे वादी के हिस्से की आराजी में कसी प्रकार की मजाहमत मदालखत पैदा ना करे, वादीगण को आरजी के उसके हिस्से से जबरन बेदख ना करे वादी के हिस्से में बोई वो कुदरती पैदावार को नष्ट ना करे । नाही प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 उक्त आराजी पर किसी प्रकार का निमार्ण कार्य ना करें, जबरन कब्जा ना करे, वादी को जबरन बेदख लना करे । वादी क हक–हिस्से की आराजी में बोई व कुदरती पैदावार को नष्ट ना करे । राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन ना करे। तथा प्रतिवादी सं0 5 को पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी विवादीत की बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीबद्ध ना करे, प्रतिवादी सं0 4 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें मौका व रिकार्ड कि स्थिती यथावत बनाई रखी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3 ने जवाब पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 जुबेर का 1/6 हिस्सा मिन प्रतिवादी सं0 3 को जरिये रजि0 बयनामा बेंचान किया हुआ है। तथा मिन प्रतिवादी सं0 3नियाजुदीन का 1/2 हिस्सा पूर्व में कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है इस प्रकार विवादित आराजी में मिन प्रतिवादी सं0 3 नियाजुदीन का 2/3 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मिन प्रतिवादी सं0 3 अपने 2/3 हिस्से पर अलहेदा से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं । मात्र बयनामा को इंतकाल रूकवाने के लिये गलत तथ्य दर्ज करते हुए वाद पत्र पेश किया है। वादपत्र हरसूरत मे काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावें सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति बहक जवाबदार को है।

पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नं0 1 ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। तथा शेष ण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दाहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने किये जाने का निवेदन था वकील प्रार्थी ने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहाराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये निवेदन किया।

मने उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली अघ्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड के खातेदार दर्ज है। तथा राजस्व रिकार्ड में पक्षकारन अपने हिस्से पर काबिज काश्त दर्ज है। तथा प्रातिवादीगण का भी हिस्सेनुसार दर्ज है। जिससे साबित है कि आराजी पक्षकारान की शामलाती ना होकर ुसार बटी हुई है। चूंकि अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड के खातेदार दर्ज है। इसलिए सुविधा का संतुलन ाईमाफेसा फिलहाल अप्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए हम न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 31.8.21को त किया जाना उचित एवं न्यायासंगत समझते है।

ातः आदेश है :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 बाबत आराजी ख0न0 196 रकबा 0.4500 हे0 वाके ग्राम डबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा यालय हाजा आदेश दिनांक 31.8.21 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम कर संलग्न मूल वाद रहे।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)